# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या 64 / 2023

**प्रार्थी** **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. डालूराम पुत्र धीराराम जाति जाट निवासी सारणो का सरा, नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी

1. तहसीलदार सिणधरी
2. प्रधानाध्यापक रा. प्रा. वि. हरखोणी सारणों की ढाणी ग्राम पंचायत नेहरों की ढाणी

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 2 एकतरफा
3. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

## आदेश

दिनांक– 13.02.2025

**1.**संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा राजस्व ग्राम सारणों का सरा, पटवार हल्का–नेहरो की ढाणी, तहसील–सिणधरी में खेत खसरा संख्या 422 / 277, 423 / 277 रकबा 0.3155, 14.1413 हैक्टेयर, कुल रकबा 14.4568 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसके मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने हिस्से की भूमि पर है जहा पर प्रार्थी के रहवासी मकान, ढाणिया, पानी का टांका आदि बने हुए है। कि प्रार्थी के द्वारा इसी खसरे में से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 277 / 1 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो वर्ष 2002 में किया गया था जिस पर वर्तमान में राजकिय प्राथमिक विद्यालय हरखोणी सारणों कीढाणी के नाम स्कुल को आंवटन किया हुआ [illegible] उक्त समर्पण का नामान्तकरण भी स्वीकृत किया गया। उक्त चार बीघा भू[illegible] किया गया जिसका खसरा संख्या 277 / 1 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 [illegible] जो नामान्तकरण स्वी[illegible] किया जाने के वाद उक्त खसरे में तरमीम भी कर दी गयी थी। जो [illegible] रेकर्ड को आनलाईन [illegible] उक्त उक्त खसरे की तरमीम को मौके व समर्पण पत्र में बताये गये नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम को मौके पर बिना किसी प्रकार का नाप किये और मौके व कब्जा काश्त से अलग रुप में तरमीम को कर दिया गया है जिससे मौके पर प्रार्थी के द्वारा वनाया गया घर आदि प्रभावित हो रहें है। कि जहा पर राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सरकार के द्वारा उक्त खसरे को वर्तमान में राजकिय प्राथमिक विद्यालय हरखोणी सारणों की ढाणी के नाम स्कुल को आंवटन किया हुआ है। और जहा पर उक्त स्कुल व चारदीवार बनी हुई है। और पास में प्रार्थी का रहवासी मकान भी बना हुआ है। और बाद में प्रार्थी के द्वारा स्कुल व अपने खेत के बीच में से रास्ते के लिये और भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया था। कि उक्त खसरों में अब वर्तमान में जो नक्शा बता रहा है। वह प्रार्थी के रहवासी मकान और स्कुल के चारदीवारी व चल रहे मार्ग को प्रभावित करता है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थी को नकदी में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नही होने से उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार मंडल–नेहरो की ढाणी के राजस्व ग्राम–सारणों का सरा के खेत खसरा संख्या 422/277, 423/277 277/1 रकबा क्रमशः 0.3155, 14.1413, 0.6472 हैक्टेयर में प्रार्थी के द्वारा किये गये समर्पण पत्र, कब्जा–काश्त व मौके की स्थिति को मध्यनजर रखकर और प्रार्थी के द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार सही तरमीम करने का आदेश जारी किया जावे।

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 01 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तालिम के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी का खेत मौजा राजस्व ग्राम सारणों का सरा, पटवार हल्का–नेहरो की ढाणी, तहसील–सिणधरी में खेत खसरा संख्या 422/277, 423/277 रकबा 0.3155, 14.1413 हैक्टेयर, कुल रकबा 14.4568 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसके मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने हिस्से की भूमि पर है जहा पर प्रार्थी के रहवासी मकान, ढाणिया, पानी का टांका आदि बने हुए है। कि प्रार्थी के द्वारा इसी खसरे में से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 277/1 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो वर्ष 2002 में किया गया था जिस पर वर्तमान में राजकिय प्राथमिक विद्यालय हरखोणी सारणों कीढाणी के नाम स्कुल को आंवटन किया हुआ है। और उक्त समर्पण का नामान्तकरण भी स्वीकृत किया गया। उक्त चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 277/1 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो नामान्तकरण स्वीकृत किया जाने के बाद उक्त खसरे में तरमीम भी कर दी गयी थी। जो राजस्व रेकर्ड को आनलाईन करते वक्त उक्त खसरे की तरमीम को मौके व समर्पण पत्र में बताये गये नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम को मौके पर बिना किसी प्रकार का [illegible] और मौके व कब्जा काश्त से अलग रुप में तरमीम को कर दिया गया है जिससे मौके पर प्रार्थी [illegible] बनाया गया घर आदि प्रभावित हो रहें है। कि जहा पर राज्य सरकार के द्वारा उक्त खसरे को वर्तमान में राजकिय प्राथमिक विद्यालय हरखोणी सारणों की ढाणी के नाम स्कुल को आंवटन किया हुआ है। और जहा पर उक्त स्कुल व चारदीवार बनी हुई है। और पास में प्रार्थी का रहवासी मकान भी बना हुआ है। और बाद में प्रार्थी के द्वारा स्कुल व अपने खेत के बीच में से रास्ते के लिये और भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया था। कि उक्त खसरों में अब वर्तमान में जो नक्शा बता रहा है। वह प्रार्थी के रहवासी मकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

और स्कुल के चारदीवारी व चल रहे मार्ग को प्रभावित करता है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थी को नकदी में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नही होने से उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार मंडल–नेहरो की ढाणी के राजस्व ग्राम–सारणों का सरा के खेत खसरा संख्या 422/277, 423/277 277/1 रकबा क्रमशः 0.3155, 14.1413, 0.6472 हैक्टेयर में प्रार्थी के द्वारा किये गये समर्पण पत्र, कब्जा–काश्त व मौके की स्थिति को मध्यनजर रखकर और प्रार्थी के द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार सही किया जावे। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार, विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थी का खेत मौजा राजस्व ग्राम सारणों का सरा, पटवार हल्का–नेहरो की ढाणी, तहसील–सिणधरी में खेत खसरा संख्या 422/277, 423/277 रकबा 0.3155, 14.1413 हैक्टेयर, कुल रकबा 14.4568 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसके मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने हिस्से की भूमि पर है जहा पर प्रार्थी के रहवासी मकान, ढाणिया, पानी का टांका आदि बने हुए है। कि प्रार्थी के द्वारा इसी खसरे में से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 277/1 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो वर्ष 2002 में किया गया था जिस पर वर्तमान में राजकिय प्राथमिक विद्यालय हरखोणी सारणों कीढाणी के नाम स्कुल को आंवटन किया हुआ है। और उक्त समर्पण का नामान्तकरण भी स्वीकृत किया गया। उक्त चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 277/1 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो नामान्तकरण स्वीकृत किया जाने के बाद उक्त खसरे में तरमीम भी कर दी गयी थी। जो राजस्व रेकर्ड को आनलाईन करते वक्त उक्त खसरे की तरमीम को मौके व समर्पण पत्र में बताये गये नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम को मौके पर बिना किसी प्रकार का नाप किये और मौके व कब्जा काश्त [illegible] दिया गया है जिससे मौके पर प्रार्थी के द्वारा बनाया गया घर आदि प्रभावित हो रहें [illegible] कि [illegible] पर राज्य सरकार के द्वारा उक्त खसरे को वर्तमान में राजकिय प्राथमिक [illegible] हरखोणी सा[illegible] की ढाणी के नाम स्कुल को आंवटन किया हुआ है। और जहा पर उक्त स्कुल व [illegible] है। और पास में प्रार्थी का रहवासी मकान भी बना हुआ है। और बाद में प्रार्थी के द्वारा स्कुल व अपने खेत के बीच में से रास्ते के लिये और भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया था। कि उक्त खसरों में अब वर्तमान में जो नक्शा बता रहा है। वह प्रार्थी के रहवासी मकान और स्कुल के चारदीवारी व चल रहे मार्ग को प्रभावित करता है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थी को नकदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नही होने से उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार मंडल–नेहरो की ढाणी के राजस्व ग्राम–सारणों का सरा के खेत खसरा संख्या 422/277, 423/277 277/1 रकबा क्रमशः 0.3155, 14.1413, 0.6472 हैक्टेयर में प्रार्थी के द्वारा किये गये समर्पण पत्र, कब्जा–काश्त व मौके की स्थिति को मध्यनजर रखकर और प्रार्थी के द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार सही तरमीम करने का आदेश जारी किया जावे। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 3067 दिनांक 27.11.2024 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सारणों का सरा पटवार क्षेत्र नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मूल खसरा खसरा नम्बर 277 से विमक्त होकर कायम हुए नये खसरा नम्बरान के भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 3067 दिनांक 27.11.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.02.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:08 IST
Reason: SelfAttested